# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

**पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.**

प्रकरण संख्या –230/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00348

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

*बनाम*

नन्दा आत्मज अमरा निवासी देवलीखुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार

## *निर्णय*

दिनांकः– 25/11/2024

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम देवलीखुर्द के आराजी खसरा नम्बर 378 की रकबा 1.38 हे0 भूमि दिनांक 14.5.1974 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । नोटिस अदम तामिल प्राप्त, तामिली रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी आवंटी ग्राम देवलीखुर्द में निवास नहीं करना बताया है । अप्रार्थी को नोटिस तामिल नहीं होने पर आवंटित भूमि की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.7.2024 पत्रावली संलग्न है । अप्रार्थी की तामिल नहीं हो पाने से एवं मौका रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर, पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम देवलीखुर्द तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 378 की रकबा 1.38 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अप्रार्थी गांव में निवास नहीं करता है । पटवारी रिपोर्ट दिनांक 29.7.2024 अनुसार ग्राम देवली खुर्द के खसरा नम्बर 378 रकबा 1.38 हे0 पर आवंटी अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्तियों का गत 20 वर्षो से कब्जा होना जाहिर आया है । इस प्रकार आवंटी अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की अवहेलना की है । अतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम देवलीखुर्द तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 378 की 1.38 हे0, भूमि दिनांक 14.5.1974 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी गांव में निवास नहीं करने से नोटिस तामिल नहीं होने से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.7.2024 अनुसार अप्रार्थी को आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने तथा अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त होने से आवंटन शर्तो की हवहेलना है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम देवलीखुर्द तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 378 की रकबा 1.38 हे0 भूमि आवंटी अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की अवहेलना की जाने से आवंटन शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है । अतः अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आदेश दिनांक 14.5.1974 निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।

6. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा